



उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय

132ए, सिविल लाइन्स, इटावा

नियर पक्का तालाब चौखड़ा

फोन नं० 05688-796776

E-mail ID-
eeetwupjnrrural@gmail.com

पत्रांक 4463 / W23 / 67 दिनांक : 21/09/2026

सेवा में,

जिला सूचना अधिकारी,
इटावा।

विषय:- डिजिटल समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 21.09.2026 को प्रकाशित ई-समाचार "हर घर जल" योजना की टंकी का काम रुका: शेरपुर कोठी में ग्रामीणों को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा, बजट की कमी से अटका काम" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक डिजिटल समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 21.09.2026 को प्रकाशित ई-समाचार "हर घर जल" योजना की टंकी का काम रुका: शेरपुर कोठी में ग्रामीणों को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा, बजट की कमी से अटका काम" खबर प्रकाशित की आख्या मांगी गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि ई-समाचार पत्र में प्रकाशित खबर विकास खण्ड महेवा के ग्राम शेरपुर रसूलपुर में जल जीवन मिशन(फेज-3) कार्यक्रम के अर्न्तगत पेयजल योजना के शिरोपरि जलाशय क्षमता 275 किली०/16 मी० निर्माणाधीन है, वितरण प्रणाली 20.626 किमी० के सापेक्ष 16.500 किमी०, 01 नग पम्प हाउस एवं बाउण्ड्रीवाल का फिनिशिंग कार्य शेष है। प्रकाशित खबर में विडियो के माध्यम से विकास खण्ड महेवा के ग्राम खितौरा की है जो जल जीवन मिशन(फेज-3) कार्यक्रम के अर्न्तगत पेयजल योजना के शिरोपरि जलाशय क्षमता 125 किली०/12 मी० निर्माणाधीन है, वितरण प्रणाली 9.666 किमी० के सापेक्ष 8.00 किमी०, 01 नग पम्प हाउस एवं बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण है। डेढ़ वर्ष से धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही है, फर्म द्वारा पुनः कार्य को प्रारम्भ कराया जा रहा है, योजना के समस्त कार्य निर्धारित समयावधि जनवरी 2027 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे।

आख्या महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(के०के० प्रजापति)
अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(का०क्ष०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
3. जिलाधिकारी महोदय, इटावा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
5. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर।
6. मै० OMIL&JWIL (JV) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही करने हेतु।

अधिशाली अभियन्ता

